गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)
संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

दूरभाष (0551): (0551) : 2580010, फैक्स (0551) 2580020, ईमेल–ceogida-up@ up.gov.in

किराये की वाहन की आवश्यकता

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर को कार्यालय उपयोगार्थ अनुबन्ध पर 02 बोलेरो वाहन (डीजल चालित/ए0सी0) की निम्नलिखित शर्तों पर आवश्यकता है :–

1–वाहन के रख–रखाव का दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

2–वाहन चालक की सेवायें भी वाहन के साथ वाहन स्वामी को उपलब्ध करानी होगी, जो पूर्ण कालिक होगा।

3–वाहन 04 वर्ष से अधिक पुरानी न हो। परन्तु वाहन निरीक्षणोपरान्त उसकी स्थिति को देखते हुए वाहन को सम्बद्ध करने या न करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, गीडा को होगा।

4–कार्यालय द्वारा मात्र डीजल उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका औसत ए0सी0 के साथ कम से कम 10 किलो मीटर प्रति लीटर होना चाहिए।

5–किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी (गीडा) गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा।

6–वाहन वाणिज्यिक उपयोगार्थ सम्भागीय परिवहन कार्यालय से विज्ञापन की तिथि से पूर्व का पंजीकरण होना चाहिए।

7–गीडा में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं रिश्तेदार की निविदा मान्य नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।

8–वाहन की अनुबन्ध की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है।

इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म दिनांक 02.07.2020 अपरान्ह 3:00 बजे तक वाहन के पेपर के साथ अपनी दरें (निविदा) सील बन्द लिफाफे में दे सकते हैं जो उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे निविदाताओं/निविदादाता के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

पत्रांकः 495/वाहन अनुभाग/बोलेरो/गीडा/2020–2021 दिनांक 25 जून, 2020

प्रतिलिपिः–
1–सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रभारी जनसम्पर्क को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2–सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को गीडा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3–गीडा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

25.6.20

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।